INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 1 | FEBRUARY - 2022

महिलाओं के प्रशासन एवं सशक्तिकरण का अध्ययन

डॉ. नीता मिश्रा
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
एस.बी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया (म.प्र.)

सारांश –

महिलाओं का प्रशासन एवं उनकी अपनी वित्त व्यवस्था की नीति सराहनीय रही है। देश में अनेक महिलायें जहाँ एक ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अच्छे ढंग से प्रशासन चला रही हैं वहीं दूसरी ओर भारतीय पुलिस प्रशासन एवं भारतीय वन सेवा में भी महिलाओं का प्रशासन सराहनीय रहा है। प्रदेश में चलाये जाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी प्रकार से रीवा जिले में भी हो रहा है। चाहे वह महिला समद्धि योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण संबंधी नीति का परिपालन हो, चाहे राष्ट्रीय मेटरनीटी बेनीफिट योजना हो, चाहे राष्ट्रीय परिवार कल्याण के अन्तर्गत आने वाली महिला के विकास की योजनाएं हों, चाहे राष्ट्रीय परिवार के अन्तर्गत आने वाली योजना हो, योजनान्तर्गत गरीब महिलाओं के बहुमुखी विकास की योजनाएं हों या महिला बाल विकास योजना हो, सम्पूर्ण योजनाओं में महिलाओं के प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था की नीति सराहनीय रही है। महिला बाल विकास योजना में महिला अधिकारी ही अच्छी प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ ग्राम एवं नगर में दिलाया जा रहा है।

मुख्य शब्द – महिलाओं का प्रशासन, सशक्तिकरण एवं योजनाएं।

प्रस्तावना –

मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि नर एवं नारी को समाज के समान अवसर, संरक्षण एवं सम्मान प्राप्त हो। मनुष्य के सभी गुण महिलाओं में प्रतिबिंबित एवं केन्द्रित हैं। यही कारण है कि शक्ति, विद्या एवं लक्ष्मी महिलाओं से संबंद्ध की गई हैं। नारी समाज की आधारशिला एवं दर्पण स्वीकार की जाती है। किसी समाज की उन्नति का मापदण्ड उस समाज में नारियों का स्थान है, जो समाज जितने उन्नतिशील है वहाँ नारियों की दशा भी उनती ही अच्छी है। आदिकाल से भारतीय समाज मे नारी को असीम श्रद्धा का स्थान प्राप्त रहा है। ''शतपथ ब्राह्मण'' मे कहा गया है कि ''पत्नी पुरुष की आत्मा एवं आधा भाग है।'' महाभारत में भी नारी मनुष्य का आधा भाग है, कहा गया है। यही नहीं प्राचीन काल में नारियों को समाज में पुरुष के समाज सभी अधिकार प्राप्त थे। नारियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी पाप समझा जाता था और नारी निंदा मत करो नारी नर की खान है, की उक्ति पूर्णतः चरितार्थ थी। मध्य युग में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के साथ नारियों के पतन की निर्गम कहानी आरम्भ होती है। विदेशियों की कुदृष्टि से बचाने के लिए उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा, और धीर – धीरे वे भारतीय समाज में भार स्वरूप हो गई।

अंग्रेजी शासन काल में नारी उत्थान की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। केवल अपवाद के रूप में विलियम बेंटक के उदाहरण दिया जा सकता है जिसने सती प्रथा का अंत करके भारतीय नारी पर महान

उपकार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति उपरान्त नारी की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए। इनमें नारी अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान का सबसे बड़ा योगदान देश की नारियों को समान अधिकार प्रदान कराना है। आज से कुछ वर्ष पहले भारतीय नारी संसार के दुखी लोगों में सबसे अधिक दुखी थी।

हम नारी को केवल मौखिक सहानुभूति दिखाकर शांत नहीं रख सकते। नारी के सभी कष्टों को समाप्त कर, उसमें आत्म सम्मान का प्रादुर्भाव कर, शिक्षा का संचार कर उसे देश के सर्वांगीण विकास में भाग लेने के योग्य बनाया जाना चाहिए। भारत जैसे समाजवादी देश में नारी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। वास्तव में नारी के सक्रिय सहयोग के बिना समाजवादी आंदोलन बहुविहीन विवाह की होगा।

भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो महिलाओं की स्थिति का ग्राफ निरन्तर गिरावट को प्रदर्शित करता है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि स्त्रियों की स्थिति बद से बदतर होती चली गयी। यदा कदा हमें अवश्य लिखा मिलता है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमंते तत्र देवता'' किन्तु यह स्थिति का सैद्धांतिक पक्ष ही है व्यवहारिक पक्ष नहीं। प्राचीन काल में स्त्री के विषय में कहा जाता था कि बाल्य काल में वह पिता के अधीन युवावस्था मे पति के अधीन तथा पति की मृत्यु के पश्चात् पुत्र के अधीप रहती है। मध्यकाल के आते – आते महिलाओं के समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया। अंग्रेजी अधिपत्य काल में भी काफी समय के बाद स्त्री की दशा को उन्नत बनाने के प्रयास किये गये, 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20 वीं शताब्दी की पूर्वार्द्ध की विशेषता रही कि राष्ट्रीय आंदोलन के साथ – साथ समाज सुधारकों का ध्यान महिलाओं की स्थिति की ओर भी गया। तबसे महिलाएं प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था के संबंध में अपनी अहम् भूमिका निभा रही हैं। यद्यपि इसके पूर्व भी महारानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, देवी अहिल्या बाई और इंदिरा जी आदि ऐसी महिलाएं थीं, जिनके प्रशासनिक एवं वित्त व्यवस्था की नीति पर देश गौरव को महसूस करता है।

विश्लेषण –

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं में आत्मसम्मा, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास होना। यदि कोई महिला अपने अधिकारों के संबंध में सजग है, वह आत्मनिर्भर है तो उसके आत्मसम्मान में अवश्य वृद्धि हुई है जिससे वह सशक्त हुई है। एक स्वस्थ व शिक्षित महिला राष्ट्र के लिए सम्पदा होती है। वह समाज की समृद्धि में उसी प्रकार सहयोग करती है जिस प्रकार एक निरक्षर निर्धन व अस्वस्थ महिला कमजोर, कुपोषित व उपेक्षित बच्चों को जन्म देकर समाज पर बोझ बढ़ाती है। अतः महिलाओं से संबंधित मुद्दे मात्र महिलों के ही नहीं बल्कि उनकासंबंध सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र से है।

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नौरोबी में की गई। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्छेश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को सुधारना है। भारत की महिलाएं अशिक्षित गरीबी, बरोजगारी एवं उत्पीड़न से ग्रसित है। हमारे देश में पुरूष एवं स्त्री को महत्व, स्थान और स्तर में काफी अंतर है। मसामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और परिवारिक स्तर पर औरत को पुरूषों से हीन माना जाता रहा है। यह सोच–समझ में परिलक्षित होता है इसके साथ पुरूष और स्त्री के बीच इस अंतर को पटाने को भी सार्थक प्रयास होते रहे हैं। हमारे संविधान में महिलाओं और पुरूषों को समान अधिकार प्रदान किये साथ ही विशेष रियायतों एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था भी है। 21वीं शदी की शुरूआंत में भारत में 2001 को महिला शशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। इस वर्ष का मूल प्रश्न था कि महिलाओं के लिये ऐसा कौन से कदम उठाये जायें जिससे कि देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में कमी लाई जा सके। और वे सशक्त बन सकें ताकि उनमें स्वाभिमान का विकास हो। भारत की संसद में आज तक केन्द्र सरकार महिलाओं को आरक्षित भागीदारी का बिल पास नहीं करवा सकी। परन्तु यदि महिलायें आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी हो तो हर अच्छी–बुरी स्थितियों का मुकाबला करने में अधिक सक्षम हो सकती हैं। 21वीं सताब्दी में आवश्यकता है कि महिला शक्ति को नई शदी को नारी के रूप में पहचान मिल सके।

अनादिकाल से हमारे देश में परिस्थितियों के अनुसार समाज में समय–समय पर स्त्रियों की स्थितियों में परिवर्तन तथा उनके उत्थान के लिये मांग उठती रही है। आर्यों के भारत में आने के प्रारंभिक दिनों के पूर्व वैदिक काल में ही स्त्री तथा पुरूषों को समकक्ष माना जाता रहा था। और यह स्थिति लगभग उत्तर वैदिक

काल तक चलती रही। इस दौरान स्त्रियां सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक कार्यों में पुरूषों के साथ बाराबरी की भागीदारी करती रही हैं। हिन्दु शास्त्रों में भी उन्हें शक्ति प्रतीक, दुर्गा, धन का प्रतीक, विद्या का प्रतीक, सरस्वती व अन्य का प्रतीक, अन्नपूर्णा माना जाता रहा है। इस मृत्युकाल में ब्राम्हण धर्म के कट्टरता के कारण पुरूषों में अधिकारों की प्रति प्राप्ति की लालशा ने स्त्रियों के अधिकारों का दायरा सीमित कर दिया और स्त्रियों को मात्र पुरूषों का आदेश मानने वाली अनुकरणीय बना दिया गया। उनको पुरूषों के अधीन रहना पड़ा था। उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में काम करने की स्वतंत्रता तथा घूमने पर प्रतिबंध था। किन्तु खेतिहर, शिल्पी तथा कामगरों की स्त्रियां पुरूषों के समान कृषि, शिल्प कला एवं मजदूरी आदि क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती थीं किन्तु उनको भी पुरूषों के अधीन काम करना पड़ता था। मध्यकाल तथा मुस्लिमकाल में स्त्रियों की स्थिति और बिगड़ गई जिसमें सुधार के प्रयास मुगल शासनकाल में किये गये किन्तु वे सुधार तभी किये गये जब सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों ने इसकी मांग की। वास्तविक रूप में तो स्त्री उद्धार की मांग 19वीं शताब्दी में ही की गई, भारतीय समाज एवं संविधान में नारी के सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किये गये।

स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की दशा में क्रान्तिकारी चेतना आई। भारतीय संविधान में इस बात का अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जाति अथवा लिंग के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भद नहीं रखेगा। परिणामस्वरूप स्त्रियों ने उन समस्त राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की जोकि पहले पुरूषों को प्राप्त थे। अब वे केवल वोट ही नहीं डालती बल्कि चुनाव में भी खड़ी होती हैं और विजय प्रापत करती हैं। केन्द्र लोकसभा और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद में उनका प्रतिनिधित्व बएत्रता जा रहा है। आजकल प्रत्येक राजनैतिक दलों में स्त्रियां सक्रिय भाग लेती हें। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में स्त्रियों की दशा में तीव्रता से परिवर्तन आ रहे हैं। वे पूर्व के समान परतंत्र की बेड़ियों में नहीं जकड़ी हुई हैं। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वे सक्रियता से भाग ले रही हैं। उनमें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता तथा राजनैतिक चेतना का पर्याप्त विकास हो रहा है। सरकार द्वारा बनाए हुए अनेक कानूनों ने उनकी स्थिति को और सुदृढ़ बना दिया है। अब वे पूरी तरह पुरूषों पर निर्भर नहीं है। महिलाओं के उद्धार में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों एवं महिला संगठनों द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उनके अधिकारों के लिए सराहनीय कार्य किए हैं जिसके फलस्वरूप महिला अधिकारों एवं कर्तव्यों में प्रति सजग रहकर कार्य करने लगी हैं।

वर्तमान में नारियां जिन पदों पर कार्य कर रही हैं उनमें वे पुरूषों की अपेक्षा कम बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दे रही हैं। जहां सेवाभाव इनकी मूल धरोहर है वही वे शिक्षा, व्यवसाय प्रशासन, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्ययत हैं। वे पुलिस अधिकारी, पायलट, जलपोत संचालक आदि के दायित्यों को संभाल रही हैं। महिलाओं ने अनवरत संर्घष करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर हर क्षेत्र में अपने को पुरूष के समकक्ष साबित किया है। सच यह हैकी जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी उनमें जागरूकता नहीं आएगी। उन्हें परम्परागत कार्यो से मुक्ति नहीं मिलेगी,उन्हें समाज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, अपनी भूमिका अदा करने के लिए स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वे समाज व देश के विकास के लिए अपना योगदान नहीं दे सकतीं।

भारत सरकार ने ग्रामिण विकास में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिए समय–समय पर नीतियों का निर्माण किया है। महिलाओं और बच्चों समग्र विकास को वंछित गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला और बाल विकास विभाग गठित किया गया है। 2006 से इसे स्वतंत्र मंत्रालयका दर्जा दे दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के विकास की देखरेख करने वाली प्रमुख एजेंसी के यप में योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है। महिलाओं के बारे में कानून बनाता है ओर उनमें संशोधन करता है और महिलाओं के विकास के खेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर–सरकारी दोनों तरह के संगठनों के प्रयासों का दिशा–निर्देशन और समन्वय करता है। इसके अलावा विभाग महिलाओं के लिए कुछ अभिनव कार्यक्रम को भी लागू करता है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, रोजगार एवं आमदनी बढ़ाने, कल्याण और सहायक सेवाओं तथा जागरूकता पैदा करने और महिलाओं में चेतना जगाने के क्षेत्र में होते हैं। इन सब कार्यक्रमों का अन्तिम उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अभिनव प्रयास हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 04 की उपधारा 02 तथा धारा 23 एवं 24 को समाप्त कर धारा 06 को अन्तःस्थापित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को वही अधिकार दिया गया है जो पुत्रों को प्राप्त है। इतना ही नहीं अधिनियम में पूर्व में मृत पुत्री की संतानों को वही अधिकार दिया गया है जो पूर्व में मृत पुत्र की संतानों को प्राप्त है। अधिनियम की धारा 24 को हटा दिया गया है। यह धारा पुनर्विवाह करने वाली स्त्री का पिता की सम्पत्ति पर से अधिकार समाप्त करती है। इसी प्रकार महिला को निवास गृह के संबंध में विभाजन की मांग करने से वंचित करने वाली धारा 23 को भी हटा दिया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक स्थिति में सुधार करने और इन्हें देश के विकास की मूल धारा से जोड़ने के लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों का संचालन किया गया है। महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराए गए ता कि वे अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग होते हुए आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बन की ओर बढ़ें।

निष्कर्ष –

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के हित में अनेक विधान पारित किये गये हैं। उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। 1956–61 में महिलाओं के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिक्षण की व्यवस्था की गई और शिशु सदन खोले गये। 1964–69 में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को महत्व दिया गया। 1969–74 में साक्षरता पर बल दिया गया तथा कल्याण मंत्रालय में महिला कल्याण एवं विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसी प्रकार छठवीं योजना में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये।

संदर्भ –

1. Celine, Rani (1992) : Emaging pattern of Rural women in India, Radha Publication New Delhi.
2. Kaushik shushila (1993) : Women and Panchayati Raj, Har – Anand Publication, New Delhi.
3. Ghosh, Bhola Nath (2002) Rural Women Leadership Mohit Publication New Delhi.
4. Sinha, Niroj (2000) : Women in Indian Politics Gyan Publishing House, New Delhi.
5. Qudeer, Imrana (1999) : Women and family welfare Ed.-Biduyt mohanti, women and political empowerment.
6. Panchandikar, K.C. & JN Panchandikar (1967) : Domestic structure and adjustment in Panchayati Raj Bodies, Ed. George, J. Readings on Panchayati Raj in India National Instilute of Community Development Hyderabad.
7. Sriniwas, M.N. (1996) : Social change in modern India university of California press.
8. Agrawal, Bina (1974) : A Field of one's own Gender and Land Rights in South Asia, Cambridge University Press, Cambridge.
9. Mehta, S.R. (1970) : The western educated Hindu women, Asia publising house, Bombay.
10. Desai N & Usha Thakkar (2003) : Women inIndia Society National Book Trust, New Delhi.